कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 6648 स्वशासी/स्था/एमसी/2021 — रीवा दिनांक 31.3.2021

विज्ञप्ति

"म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018" अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा में संविदा कर्मचारियों हेतु स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर निर्धारित शर्तो के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :-

आवेदन की अंतिम तिथि – 15.04.2021 सायं 05:00 बजे तक

संविदा कर्मचारियों हेतु स्टाफ नर्स के कुल रिक्त पद –25

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांगजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	03	02	00	00	05	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 शारिरिक विकलांगता निःशक्तजन के लिए आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदो के लिए चयनित होगा उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों मे समाहित है।
2	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	05	02	00	00	07	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	01	00	00	05	
4	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	00	00	05	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	02	01	00	00	03	
	कुल	17	08	00	00	25	

01. अर्हताएं

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं
1.	स्टाफ नर्स	18 वर्ष	1. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।

02. वेतनमान –5200–20200+2800 (सांतवे वेतनमान के लेवल–7, न्यूनतम वेतन 28700/–)

शर्ते एवं निर्देश :–

1. संविदा कर्मचारी से अभिप्रेरित है कि, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी–5–2–2018/1/03 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति/म.प्र. सर्व शिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र यथास्थिति जिला स्तर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
2. स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिये निश्चित पारिश्रमिक रू. 10,000/– पर की जावेगी। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
3. पदों की संख्या में नियमानुसार वृद्धि या कमी हो सकती है।

क्रमशः 02....

4. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार रहेगा, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
5. आवेदन शुल्क :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए रू. 700/– (रूपये सात सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट "CEO & DEAN, SS Medical College Rewa" के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. डिमाण्ड ड्राफ्ट के पिछे उम्मीदवार का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित करना आवश्यक होगा।
7. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि** :– अधिष्ठाता कार्यालय, स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2021 सायं 05:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के साथ–साथ आवेदन पत्र का प्रारुप श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.com में उपलब्ध रहेगी।

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमशः 03....

अन्य शर्ते :–

1. **यात्रा भत्ता** :–दस्तावेज सत्यापन के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा ।
2. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

- अनारक्षित वर्ग के लिए – **40 वर्ष**
- अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक /निःशक्तजन /महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिये – **45 वर्ष**

3. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
4. जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
5. आरक्षण का लाभ म.प्र. के मूल निवासी को ही दिया जावेगा।
6. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यार्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, जो कि 06 माह से अधिक पुराना न हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. नर्सिंग जिसका सीधा संबंध जन सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं ईलाज में है, सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग म.प्र. का राजपत्र दिनांक 20.12.2019 के अनुसार शारिरिक रूप से दिव्यांग (जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिट अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) चयन हेतु पात्र होगे इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवार भर्ती हेतु अपात्र होगे।
8. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
9. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।
10. नियुक्ति उपरांत परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना संभव नही होगा।
11. निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी दिनांक 26.1.2001 के बाद जिस आवेदक को दो से अधिक संतान जन्म लिया है उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
12. अपूर्ण आवेदन का संपूर्ण दायित्व आवेदक का होगा तथा आवेदन स्वीकार न होने की स्थिति में तदविषयक पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
13. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
14. नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
15. स्क्रूटनी परिणाम एवं चयन प्रकिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट www.ssmcrewa.com का निरंतर अवलोकन करें। यदि आवेदक समय–समय पर जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो अभ्यार्थी की दावेदारी मान्य नही की जावेगी।

क्रमशः 04....

16. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर चयन/नियुक्ति होती है तो, भविष्य में संबंधित की अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त की जावेगी एवं तद्नुसार विधिक कार्यावाही संस्थित की जावेगी।
17. अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को भर्ती की प्रक्रिया किसी भी चरण पर यथोचित कारण के साथ आंशिक/पूर्णरूप से निरस्त किये जाने का अधिकार होगा
18. भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती में राज्य स्तरीय पदों/संवर्गो हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

(सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा)

आवेदन का स्वरूप

पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो (नाम एवं दिनांक सहित)

1. आवेदित पद का नाम ....
2. विज्ञापन क्रमांक .... दिनांक ....
3. आवेदक का पूरा नाम (उप नाम सहित).....................................
4. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित)...
5. जन्म तिथि ..../......../......................
   (सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. आयुः– वर्ष...........माह..........दिन.............(दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में)
7. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक..दिनांक.................................
8. वर्तमान निवास का पता तथा पिन कोड एवं मो. नं. :–...
   ....
9. स्थाई निवास का पूर्ण पता तथा पिन कोड :– ....
   ....
10. आवेदित श्रेणी (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस)..
11. क्या अभ्यार्थी म.प्र. की विशेष पिछडी जनजाति से संबंधित है (हाँ/नहीं)...
12. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी–5–2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के निर्देशानुसार संविदाकर्मी के रूप में की गयी कार्य अवधि (आवेदन दिनांक की स्थिति में)..........वर्ष............माह।
13. क्या अभ्यार्थी भूतपूर्व सैनिक है (हाँ/नहीं)..
14. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि ....
15. नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक ....
16. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक ....
17. शैक्षणिक योग्यता :–(विज्ञापन अनुसार पद हेतु उल्लेखित समस्त अर्हता परीक्षाओं की जानकारी)

क्र.	परीक्षा का नाम	नर्सिंग स्कूल/ महाविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक

आवेदक का नाम लिखे...

क्रमशः......02 पेज

18. अन्य विशेष योग्यता :– ....

19. निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें :–

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	(हां/नहीं/लागू नहीं)
13.	आवेदन शुल्क – डिमाण्ड ड्राफ्ट।	
14.	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
15.	12वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
16.	अर्हता परीक्षा(ओं) से संबंधित समस्त अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
17.	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
18.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
19.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति– प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
20.	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
21.	नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
22.	निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001 के पश्चात् तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ–पत्र।	
23.	विधवा/परित्यकक्ता/तलाक शुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमणित तद्विषयक शपथ–पत्र।	
24.	कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

स्थान : **आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम**
दिनांक :

प्रमाण पत्र

प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है,जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान : **आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम**
दिनांक :

———000———